Need to Implement Recomemcdations of Fifth Central Pay Commission for D.A.N.I. Police and D.A.N.I. Civil Services

श्री शत्रुघ्न सिंहा (बिहार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान दिल्ली और अंडमान जैसी जगहों पर काम करने वाले दानी पुलिस और दानी सिविल प्रशासनिक सेवाओं के लिए अनुशासित पांचवे वेतन आयोग से नए वेतन मानों, सेंट्रल पे कमीशन द्वारा रेकमंडेट न्यू पे-स्केल को अभी तक लागू न होने की और आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज से लगभग एक वर्ष पहले देश के तमाम कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा प्रदान किए गए वेतन मान अक्षरशः लागू कर दिए गए। परन्तु तकीनकी कारणों की आड़ में इन दो सेवाओं के अधिकारियों को नए वेतन मानों से अभी तक वंचित रखा गया है। मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री महोदय को जब इस समस्या से अवगत कराया गया तो इस दिशा में कुछ प्रगति हुई। परन्तु इसके बावजूद इस संबधं में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और किसी न किसी कारण का बहाना बनाकर इन सेवाओं के अधिकारियों को नये वेतन मान से वंचित रखा गया है। सभापति महोदय, ऐसा कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आज तक वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को बिना विलम्ब किए लागू किया जाता रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब खास सेवा को प्रदान की गई सिफारिशों को वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य से अलग हटाकर प्रशासनिक पेचीदिगियों में उलझाकर उन्हे न्याय से वंचित किया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि दानी पुलिस और दानी सिविल सर्विस के अधिकारियों का न केवल दिल्ली बल्कि अन्य केन्द्रीय शासित प्रदेशों में एक स्वच्छ, कारगर डेवलपमैंट ओरिएन्टेड, विकासोन्मुखी प्रशासन देने में काफी योगदान है। ऐसे कर्मठ और निष्ठावान अधिकारियों के लिए अनुशसित न्यायोचित वेतन-मानों को लागू न करना उनके मनोबल को प्रभावित करता है। यह कहना अनुसूचित नहीं होगा कि वेतन आयोग द्वारा इन अधिकारियों को प्रदान किए गए वेतन मान, केवल एक प्रयास मात्र हैं, उनके समकक्ष देश के अन्य राज्यों में कार्यरत अधिकारियों को मिल रहें वेतन मानों से जोड़ने का, यह एक प्रयास मात्र है। महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि वेतन आयोग द्वारा दानी पुलिस और दानी प्रशासनिक सेवा को, आई.बी.,सी.बी.आई.और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के समान पे-स्केल अनुशंसित किए गए थे। लेकिन इन दो सेवाओं को छोड़कर बाकी आई.बी., सी.बी.आई. और अन्य बलों के वेतन-मान स्वीकार कर लेना , यह सचमुच में एक सौतेला व्यवहार है। सभापति महोदय, मुझे डर है कि सरकार द्वारा समय पर निर्णय न लेने के कारण इन अधिकारियों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाएगी और वे यह समझाने के लिए मजबूर हो जायेंगे कि "यहां पर सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते है। खुदा जाने यहां किस तरह जलसा हुआ होगा"। महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार और विशेषकर माननीय गृह मंत्री से यह आग्रह करूंगा, यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस रूचि से उन्होनें इनकी समस्याओं को सुलझाने की ओर पहल की है, उसी तरह जल्दी से जल्दी इन सेवाओं के बारे में न्योयोचित निर्णय लेकर इनके टूटे मनोबल को और अधिक न टूटने दें। महोदय, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मै आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now it is getting one O'clock. There are five, six Special Mentions. I Would like to let the Ministers introduce the Bills so that they can go. Thereafter, the Special Mentions can continue. Shri Advani.

THE IMMIGRATION (CARRIERS' LIABILITY) BILL, 1998

THE MINISTER 'OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill, to make the carriers liable in respect of passengers brought by them in to India in contravention of the provisions of the Passport (Entry into India) Act, 1920 and the rules made thereunder and matters ;onnected therewith.

These have been prescribed in the Immigration(Carriers'Liability) Bill, 1998.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I introduce the Bill.